प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात **दिनांक- 21.08.2026**

➢ **थाना भोगनीपुर पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए चोरी की 09 बैट्री व 01 ऑटो के साथ 04 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में अपराध नियंत्रण एवं घटनाओं की रोकथाम तथा खुलासे हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, दिनांक 20.08.2026 को वादी नौशाद पुत्र मुन्ना निवासी पटेल नगर वार्ड नं0-17, पुखरायां थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात द्वारा अपनी ई-रिक्शा की बैट्री चोरी होने के सम्बन्ध में दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर थाना भोगनीपुर पर मु0अ0सं0 0278/2026 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक्त में थाना भोगनीपुर द्वारा कार्यवाही करते हुए दिनांक 21.08.2026 को रात्रि चैंकिग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर बिदखुरी तिराहे से हरदुआ अंडरपास के पास ऑटो सवार 04 अभियुक्तों को चोरी की 09 बैट्री सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों से नाम पता पूछने पर उन्होंने अपना नाम 1. उमेश पुत्र स्व0 लक्ष्मण निवासी राजीव नगर,पुखरायां, थाना भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात, 2. दीपक बाल्मीकी पुत्र मुकेश निवासी बाल्मिक मोहल्ला, पुखरायां, थाना भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात, 3. सौरभ कुमार पुत्र कमलेश निवासी अम्बेडकर नगर, वार्ड नं0 3, पुखरायां, थाना भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात, 4. सागर कश्यप पुत्र रामगोपाल फलवाले निवासी आजाद नगर, पुखरायां, थाना भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात बताया। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का विवरण-

1. उमेश उम्र करीब 32 वर्ष पुत्र स्व0 लक्ष्मण निवासी राजीव नगर,पुखरायां, थाना भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात।
2. दीपक बाल्मिकी उम्र करीब 19 वर्ष पुत्र मुकेश निवासी बाल्मिक मोहल्ला, पुखरायां, थाना भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात।
3. सौरभ कुमार उम्र करीब 19 वर्ष पुत्र कमलेश निवासी अम्बेडकर नगर, वार्ड नं0 3, पुखरायां, थाना भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात।
4. सागर कश्यप उम्र करीब 20 वर्ष पुत्र रामगोपाल फलवाले निवासी आजाद नगर, पुखरायां, थाना भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात।

पूछताछ- अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि हम चारों लोग मिलकर रात्रि में ऑटो से घूमते हैं तथा घरों के बाहर खड़े ई-रिक्शा से बैटरियां चोरी कर लेते हैं, जिन्हें हम लोग फेरीवालों व कोई ग्राहक मिलने पर सस्ते दामों पर बेच देते हैं तथा प्राप्त रुपयों को आपस में बांट लेते हैं। हम लोगों ने वार्ड नं0 3 पुखरांया से दिनांक 17.08.2026 व दिनांक 19.08.2026 की रात्रि हम लोगों ने ई-रिक्शा से कुछ बैट्री चोरी की थीं। कुछ बैट्री हमने पहले भी चोरी की थीं, जिनके स्थान के बारे में हमें याद नहीं है। आज हम लोग यह चोरी की बैट्री कानपुर बेचने जा रहे थे कि आपने हम लोगों को पकड लिया।

बरामदगी का विवरण

1. 09 अदद बैट्री।
2. 01 ऑटो (धारा 207 एमवी एक्ट में सीज)

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 0278/2026 धारा 303(2)/307(2) बीएनएस थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री सौरभ सिंह
2. हे0का0 584 राजू त्यागी
3. का0 520 अमित कुमार
4. का0 406 विशाल।